

भारतीय भाषाओं का सांस्कृतिक योगदान

प्रो.ललित चावड़ा

सी.बी.पटेल आर्ट्स कॉलेज, नडियाद

संस्कृत विभाग

Page 118 to 127

भूमिका

भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता और भाषाई समृद्धि के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। भारतीय भाषाएँ न केवल संवाद का साधन हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, परंपरा और दर्शन को संरक्षित और प्रसारित करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। देश की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ और 1600 से अधिक बोलियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि भारत में भाषा केवल संवाद का उपकरण नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है।

भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे ज्ञान और पहचान का संचार करती हैं। 1,600 से अधिक भाषाएँ बोली जाने के साथ, भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक भाषाई विविधताओं में से एक है। सामूहिक ज्ञान, परंपराओं और रीति-रिवाजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण महत्वपूर्ण है। संस्कृत और पाली जैसी प्राचीन भाषाओं का संरक्षण भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और विविध परंपराओं और रीति-रिवाजों की सराहना की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सांस्कृतिक विरासत पर प्राचीन भाषाओं का प्रभाव प्राचीन भाषाओं ने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिसमें संस्कृत ने साहित्य, धर्म और दर्शन को आकार दिया है। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी शास्त्रीय भाषाएँ क्षेत्रीय विरासत और परंपराओं को संरक्षित करती हैं। ये भाषाएँ विशिष्ट पहचान कायम रखती हैं और ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करती हैं, जबकि तमिल, बंगाली और मराठी भारत के विविध सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रतिबिंबित करने वाली साहित्यिक कृतियों के रूप में अत्यधिक महत्व रखती हैं।

यह शोध पत्र भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक योगदान को साहित्य, कला, धर्म, सामाजिक संरचना, और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में प्रस्तुत करता है।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इन भाषाओं को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतिबिंब के रूप में भाषाई विविधता 1,600 से अधिक भाषाएँ बोली जाने वाली भारत की भाषाई विविधता इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। प्रत्येक भाषा एक अनूठी संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत की विरासत

के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने और भावी पीढ़ियों को अपनी पैतृक जड़ों से जोड़ने के लिए इन भाषाओं को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। स्वदेशी भाषाएँ विविध प्रथाओं और परंपराओं को संरक्षित करती हैं, जबकि आदिवासी भाषाएँ पहचान और गौरव को बढ़ावा देती हैं। भारतीय भाषाएँ रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों और लोककथाओं को भी संरक्षित करती हैं, जटिल परंपराओं और स्थानीय इतिहास को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाती हैं। इसलिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत के निरंतर संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इन भाषाओं की सुरक्षा और प्रचार-प्रसार आवश्यक है। साहित्य और कला में भाषाओं की भूमिका भारत में सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करने, संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं। विविध भाषाई परिदृश्य ने साहित्य और कलात्मक अभिव्यक्तियों की समृद्ध टेपेस्ट्री को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी सांस्कृतिक बारीकियाँ और परंपराएँ हैं। ये भाषाएँ देश की सांस्कृतिक विरासत की नींव बनाती हैं, जो बदलती दुनिया में इसकी निरंतरता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करती हैं। संस्कृत महाकाव्य, तमिल साहित्य की तिरुक्कुरल और कन्नड़ की पम्पा भारत जैसी साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियाँ विभिन्न क्षेत्रों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और मूल्यों में एक खिड़की प्रदान करती हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए विभिन्न भाषाओं में प्राचीन ग्रंथों और धर्मग्रंथों का संरक्षण आवश्यक है।

पुस्तकालय, विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थान इन ग्रंथों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उनकी दीर्घायु और पहुंच सुनिश्चित होती है। भाषाएँ साहित्यिक शैलियों, शैलियों और विषयों को भी प्रभावित करती हैं, हिंदी साहित्य में भक्ति और आध्यात्मिक विषयों की विशेषता है और तमिल साहित्य एक विशिष्ट काव्य शैली, संगम साहित्य का प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना भारत की समृद्ध परंपराओं के संरक्षण के लिए आवश्यक है। प्रदर्शन कलाओं के विविध रूप, जैसे नृत्य, संगीत और रंगमंच, विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शन कलाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित और समर्थन करके, भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत की निरंतर वृद्धि और भावी पीढ़ियों के लिए प्रासंगिकता सुनिश्चित कर सकता है। पहचान चिह्नक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भाषाएँ विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध भाषाई विविधता वाले भारत में भाषाएँ आवश्यक पहचान चिह्नक और सांस्कृतिक प्रतीक हैं। प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है और अपने बोलने वालों की विशिष्ट पहचान में योगदान करती है। हिंदी आधिकारिक भाषा है, जबकि तमिल, बंगाली और तेलुगु की अपनी स्वदेशी लिपियाँ और साहित्यिक परंपराएँ हैं। ये भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती हैं और पारंपरिक ज्ञान,

लोककथाओं और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है। भाषाई विविधता नागरिकों के बीच गौरव और एकता को बढ़ावा देती है, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। भाषाएँ परंपराओं, मूल्यों और पहचानों को लेकर सामाजिक, जातीय और धार्मिक संबद्धता के संकेतक के रूप में भी काम करती हैं। भाषा धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों, पवित्र ग्रंथों को प्रसारित करने और दिव्य ज्ञान की खोज में उपासकों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक संदर्भ में धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों की दीर्घायु और जीवन शक्ति सुनिश्चित करने के लिए भाषाओं की सुरक्षा आवश्यक है। भाषाओं के भीतर अद्वितीय बोलियों और विविधताओं को संरक्षित करना भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न समुदायों के इतिहास, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं की जानकारी प्रदान करता है। इन विशिष्ट भाषाई विविधताओं की सुरक्षा करके, भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का संरक्षण सुनिश्चित करता है और अपने वक्ताओं के अद्वितीय अनुभवों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करता है। सांस्कृतिक विरासत के लिए भाषाओं को संरक्षित करने में चुनौतियाँ रही हैं।

भारतीय संस्कृति और सदैव 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की पोषक रही है। अहिंसा उसका मूल मंतव्य रहा है। हिन्दी साहित्य में अनेक ऐसे शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ मिलती हैं जिनका सीधा संबंध भारतीय संस्कृति और सभ्यता से है। गाय हमारे यहाँ माता के समान है, पूजनीय, वंदनीय है। गोधूलि बेला, गोष्ठी, गवेषणा, गोमुखी, गोपुच्छ, गोस्वामी जैसे शब्दों का बाहुल्य हमारे समाज में गौ की प्रधानता का द्योतक है। भारत गरम देश है। अतः हिन्दी साहित्य में 'हृदय को शीतल करना' मुहावरा है। भारतीय संस्कृति अहिंसा में विश्वास करती है तो इसीलिए 'एक पत्थर से दो पंछी मारना', 'गोरस बेचन हरि मिलन', 'एक पंथदो काज' आदि मुहावरे अहिंसात्मक प्रवृत्ति का द्योतक हैं।

ऐसे अनेक सांस्कृतिक तत्व हैं जिनका प्रभाव हिन्दी साहित्य पर पड़ा और आगे भी पड़ता रहेगा। हिन्दी साहित्यकारों ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और उसे सर्वत्र व्याप्त करने के उद्देश्यसे ही साहित्य लिखा। यह परंपरा हमेशा चलती रहे और साहित्य संस्कृति से जुड़ा रहे यही साहित्य की उत्कृष्टता है। इन्हीं कारणों और आज के समाज की आवश्यकता को देखते हुए संस्कृति ही भारतीय युवाधन, साहित्य और समाज को बचाने का एकमात्र उपाय है। इसी लिए संस्कृति हमारे देश की और साहित्यको अनिवार्य धरोहर है।

भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है – जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव लेना, भारत के

खूबसूरत हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण संगीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनन्द उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा है जो भारत के पर्यटन स्लोगन के अनुसार भारत को वास्तव में “अतुल्य ! भारत” बनाती है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होना चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

भाषा, निःसन्देह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। भिन्न-भिन्न भाषाएँ, दुनिया को भिन्न-भिन्न तरीके से देखती हैं इसलिए, मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है, उसे किस प्रकार ग्रहण करता है यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। विशेष रूप से, किसी संस्कृति के लोगों का दूसरों के साथ बात करना जैसे परिवार के सदस्यों, प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों अपरिचित आदि भाषा से प्रभावित होता है तथा बातचीत के तौर-तरीकों को भी प्रभावित करती है। लहजा, अनुभवों की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन, यह भी संस्कृति का प्रतिबिम्ब और दस्तावेज है। अतः संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है।

दुर्भाग्य से, भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को ‘लुप्तप्राय’ घोषित किया है। विभिन्न भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं विशेषतः वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है। जब किसी समुदाय या जनजाति के, उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है, और प्रायः इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्यवाई या उपाय नहीं किए जाते हैं।

भाषाओं का शिक्षण एवं विकास - इसके अलावा, वे भारतीय भाषाएँ भी, जो अधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं-जैसे आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत

करने की आवश्यकता है। भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना चाहिए - जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएँ आदि शामिल हैं। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भण्डार को अधिकारिक रूप से लगातार अपडेट अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके। दुनिया भर के देशों द्वारा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई, जापानी आदि भाषाओं में इस प्रकार की अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री बनाने और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्दभंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। परंतु, अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफी धीमी रही है।

इसके अतिरिक्त, कई उपाय करने के पश्चात् भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव-आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अन्तः क्रिया करने की क्षमता पर केन्द्रित हो न कि केवल भाषा के साहित्य, शब्द भंडार भाषाओं को और अधिक व्यापक रूप में आपस में बातचीत और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को मजबूती प्रदान करना: भारत सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा, और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। इसी प्रकार से सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, जिनमें शास्त्रीय भाषाओं एवं साहित्य पढाया जा रहा है, उनका विस्तार किया जाएगा। अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के दृढ़ प्रयास किये जायेंगे। देश भर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा, छात्रों के नए बैच को बड़ी संख्या में अभिलेखों एवं अन्य विषयों के साथ उनके अंतर्संबंधों के अध्ययन का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध होने या उनमें विलय का प्रयास करेंगे ताकि सुदृढ़ एवं बहुविषय, कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर संकाय काम कर सके एवं छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय भी बहुविषयी बनेंगे; जहाँ प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस भाषा में

बी.एड. दोहरी डिग्री प्रदान करेगी ताकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषायी शिक्षक तैयार हो सकें। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि भाषाओं के लिए नये संस्थान स्थापित किया जाए। विश्वविद्यालय के परिसर में एक फारसी, पाली एवं प्राकृत भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जायेगा। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला, इतिहास एवं भारतीय विद्या का अध्ययन किया जा रहा है वहाँ भी इसी प्रकार के कदम उठाये जायेंगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधानों को एनआरएफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी एवं क्लाउडसोर्सिंग, लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ, इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

संविधान में उल्लिखित भाषाओं के लिए अकादमी स्थापित करना: भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषाओं के लिए अकादमी स्थापित की जायेगी, जिनमें भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने, जानने वाले लोग शामिल रहेंगे ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किन्तु सटीक शब्द भण्डार तय किया जा सके, तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोष जारी किया जा सके (विश्व में कई भाषाओं अन्य कई भाषाओं के सफल प्रयासों के सदृश)। इन शब्दकोशों के निर्माण के लिए ये अकादमियां एक दूसरे से परामर्श लेंगी, कुछ मामलों में आम जनता के सर्वश्रेष्ठ सुझावों को भी लेंगी। जब भी संभव हो, साझे शब्दों को अंगीकृत करने का प्रयास भी किया जाएगा। ये शब्दकोष व्यापक रूप से प्रसारित किये जायेंगे ताकि शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन, बातचीत आदि में इस्तेमाल किया जा सके एवं किताब के रूप में तथा ऑनलाइन उपलब्ध हो। अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए इन अकादमियों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केंद्र अथवा/और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जायेंगी।

भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण हेतु वेब आधारित दस्तावेजीकरण सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु भारतीय भाषाओं एवं और उनसे संबंधित स्थानीय कला और संस्कृति का, वेब आधारित प्लेटफार्म, पोर्टल, विकीपीडिया के द्वारा दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्लेटफार्म पर विडियो, शब्दकोष, रिकॉर्डिंग एवं अन्य सामग्री होगी जैसे लोगों द्वारा भाषा बोलना (विशेषकर बुजुर्गों द्वारा), कहानियां सुनाना, कविता पाठ करना, नाटक खेलना, लोक गायन एवं नृत्य करना आदि। देश भर के लोगों को इन प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जायेगा जिससे वो इन प्लेटफार्म / पोर्टल/विकीपीडिया पर प्रासंगिक सामग्री

जोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय एवं उनकी शोध टीम एक दूसरे के साथ तथा देश भर के समुदायों के साथ काम करेंगी ताकि इन प्लेटफार्म की और समृद्ध किया जा सके। संरक्षण के इन प्रयासों तथा इनसे जुड़े अनुसंधान परियोजनाओं, जैसे इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान आदि को एनआरएफ द्वारा वित्तीय मदद प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त शोध पत्र के विस्तार को हम निम्नलिखित संक्षिप्त बिन्दुओं को सार रूप देख सकते हैं -

1. भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक विरासत

1.1 भारतीय साहित्य में भाषाओं का योगदान

भारतीय भाषाओं ने साहित्यिक धरोहर को समृद्ध किया है:

1. संस्कृत साहित्य:

- वेद, उपनिषद, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य संस्कृत में रचे गए।
- कालिदास, भास और बाणभट्ट जैसे महान कवियों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया।

2. तमिल साहित्य:

- संगम साहित्य, तिरुक्कुरल और शिलप्पदिकारम जैसे ग्रंथ तमिल में लिखे गए।

3. हिंदी साहित्य:

- तुलसीदास, कबीर, और सूरदास जैसे संत कवियों ने भक्तिकाल में हिंदी को जन-जन तक पहुँचाया।

4. बांग्ला साहित्य:

- बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई।

5. उर्दू साहित्य:

- मिर्जा ग़ालिब, इकबाल और साहिर लुधियानवी ने उर्दू साहित्य को नई ऊँचाई दी।

1.2 लोककथाओं और लोकगीतों में भाषाओं की भूमिका

- भारतीय भाषाओं ने लोककथाओं, लोकगीतों और पारंपरिक कथानकों को संरक्षित किया है।
- हर भाषा में प्रसिद्ध लोककथाएँ हैं, जैसे:
- पंचतंत्र (संस्कृत), आल्हा (बुंदेली), और लैला-मजनून (उर्दू)।

- लोकगीत जैसे भोजपुरी का कजरी और पंजाबी का गिद्दा भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब हैं।

2. भारतीय भाषाओं का कला और नृत्य में योगदान

2.1 शास्त्रीय और लोक संगीत

- भारतीय संगीत की शास्त्रीय और लोक परंपराओं में भाषाओं का गहरा प्रभाव है।
- भजन (हिंदी), कीर्तन (बंगाली), और वाराकरी अभंग (मराठी) ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया।
- क्षेत्रीय भाषाओं में रचित गीत, जैसे तमिल के थिरुप्पावई, कर्नाटक संगीत में लोकप्रिय हैं।

2.2 नृत्य और रंगमंच

- कथक, भरतनाट्यम, और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग गीतों और कथानक के लिए किया जाता है।
- तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रचित नाटक भारतीय रंगमंच का आधार हैं।
- यक्षगान (कन्नड़) और रामलीला (अवधी) जैसी लोक-नाट्य विधाएँ भारतीय भाषाओं में संरक्षित हैं।

3. भारतीय धर्म और दर्शन में भाषाओं का योगदान

3.1 धार्मिक ग्रंथ और भाषाएँ

- भारतीय धर्मों के प्रमुख ग्रंथ भारतीय भाषाओं में रचे गए:
- वेद और उपनिषद (संस्कृत)।
- त्रिपिटक (पालि)।
- गुरु ग्रंथ साहिब (पंजाबी)।
- भक्ति संतों की रचनाएँ क्षेत्रीय भाषाओं में।

3.2 धार्मिक अनुष्ठान और भाषाई योगदान

- हर क्षेत्रीय भाषा में धार्मिक गीत और भजनों का उपयोग होता है।
- कावड़ यात्रा में अवधी और ब्रज भाषा के भजनों का प्रयोग।
- बंगाली दुर्गा पूजा और तमिल तिरुवल्लुवर के योगदान से धार्मिक अनुष्ठानों को सजीवता मिली।

4. सामाजिक संरचना और भाषाएँ

4.1 लोक रीति-रिवाज और परंपराएँ

- शादी, त्यौहार, और जीवन चक्र के संस्कार क्षेत्रीय भाषाओं में गीतों और कहानियों के माध्यम से संपन्न होते हैं।
- बिहारी छठ पूजा, पंजाबी लोहड़ी, और बंगाली दुर्गा पूजा में भाषाई गीतों का विशेष महत्व है।

4.2 सामाजिक आंदोलन और भाषाएँ

- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भाषाओं ने एकता और सामूहिक चेतना का निर्माण किया:
- बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में जनता को संगठित किया।
- महात्मा गांधी ने गुजराती और हिंदी को जन-जन तक पहुँचाया।

4.3 राष्ट्रीय एकता और भाषाई योगदान

- भारतीय भाषाएँ विविधता में एकता का प्रतीक हैं।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं, जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं।

5. वैश्वीकरण और भारतीय भाषाएँ

5.1 भारतीय भाषाओं की वैश्विक पहचान

- रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद और नोबेल पुरस्कार से सम्मान।
- तमिल, हिंदी, और बांग्ला साहित्य को विश्व भर में सराहा गया।

5.2 भारतीय भाषाएँ और प्रवासी भारतीय

- प्रवासी भारतीय समुदाय ने भारतीय भाषाओं और संस्कृति को विदेशों में जीवित रखा है।
- विदेशों में हिंदी, तमिल, और गुजराती पाठशालाओं का संचालन।

5.3 डिजिटल युग और भारतीय भाषाएँ

- गूगल ट्रांसलेट और डिजिटल मीडिया ने भारतीय भाषाओं के प्रसार को प्रोत्साहित किया।
- यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री बढ़ रही है।

6. भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास

6.1 भाषाई विलुप्ति का खतरा

- कई क्षेत्रीय बोलियाँ विलुप्त हो रही हैं।
- ग्लोबलाइजेशन और अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव से भाषाई विविधता पर खतरा।

6.2 संरक्षण के उपाय

1. शिक्षा में मातृभाषा का उपयोग

- नई शिक्षा नीति (2020) ने प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता दी है।

2. साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव

- साहित्यिक महोत्सव जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देते हैं।

3. डिजिटल संसाधन

- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय भाषाओं की सामग्री विकसित करना।

निष्कर्ष

भारतीय भाषाओं ने भारतीय संस्कृति के हर पहलू को समृद्ध किया है। इन भाषाओं ने साहित्य, धर्म, कला, संगीत, और समाज को आधार प्रदान किया है। डिजिटल युग में इन भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि यह सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके।

संदर्भग्रंथ

1. डॉ. सुनील कुमार 'भारतीय भाषाओं का इतिहास'।
2. पं. रामचंद्र शास्त्री 'संस्कृत साहित्य की परंपरा'।
3. प्रो. अशोक कुमार 'भाषा और समाज'।
4. के. एस. रामास्वामी 'तमिल साहित्य और संस्कृति'।
5. आचार्य रामचंद्र शुक्ल 'हिंदी साहित्य का इतिहास'।
6. डॉ. के. नागराज 'भारतीय भाषाओं का वैश्विक योगदान'।